उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5
संख्या–260/ XXX-5/38(11)/2002
देहरादूनः दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

कार्यालय आदेश

राज्य में भ्रष्टाचार एवं रिश्वत लेने की प्रवृतियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग के अन्तर्गत शिकायतों की जांच एवं ट्रैप की कार्यवाही की जाती है। किन्तु कतिपय राजकीय साक्षियों द्वारा अभियोजन के दौरान मा0 न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही होने पर अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं।

2. अतः उक्त प्रवृति को रोकने के लिए अभियोजन के दौरान पक्षद्रोही होने वाले राजकीय साक्षियों के विरूद्ध Central Vigilance Commission की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण निमावली, 2002 के नियम–3 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–260 XXX-5 / 2020–38(11)2002

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/आयुक्त उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. गार्ड फाईल।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।